न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 111/2021(2021/301)

1. श्रीमति अन्ना देवी पत्नि श्री अम्बालाल उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

––प्रार्थी

वनाम

1. प्यारेलाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

4. श्रवण पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा निवासी चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।
5. अम्बालाल पुत्र श्री घीसा उम्र व्यस्क जाति मीणा चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री मदनगोपाल चौधरी – वकील प्राथी
श्री मिठू सिंह राठौड

–आदेशः–

दिनांक–5.4.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
211–48	790	0.01	गै.मु.चाह
	791	0.50	जाब 1 चाही 1
	792	0.30	जाब 1 चाही 1
	793	0.60	जाब 1 चाही 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.41है.	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त वाद वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जिसको प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय प्रतिफल की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करके प्रार्थीया के हक में दिनांक 16.05.2019 को क्रय की । क्रय की दिनांक से ही 1/3 हिस्सा प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग में चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीया के अलावा दीगर व्यक्ति या अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कानूनन हक हिस्सा, अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी पर विक्रय के समय अप्रार्थी संख्या 2 से उसके खातेदारी के हिस्सा 1/3 हिस्सा को रहन रखकर ऋण ले रखा था । उसने कहा था कि अप्रार्थी संख्या 2 का ऋण चुकता कर दूंगा व विक्रयपत्र से नामान्तरकरण तुम्हारे नाम करवा लेना परन्तु विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 का ऋण अदा नहीं किया है । प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई मर्तबा ऋण जमा कराने हेतु तकाजा वादग्रस्त आराजी का किया परन्तु वह प्रति वर्ष नया पुराना के.सी.सी. ऋण वादग्रस्त आराजी पर करता चला आ रहा है इस कारण अप्रार्थी संख्या 3 व इसके मातहत अधिकारी राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 15.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थीसंख्या 2 से वादग्रस्त आराजी को रहन रखकर लिये गये ऋण की अदायगी हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने धमकी दी कि विक्रयपत्र की भोगली बनाकर रख लो, ऋण जमा नहीं कराऊंगा तथा वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से को खुर्द बुर्द, अन्तरण, हस्तान्तरण करूंगा, मेरे नाम है तथा प्रार्थीया के खरीदशुदा 1/3 हिस्सा की खातेदारी की वादवर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने एवं कब्जे काश्त, स्वामित्व, ,आधिपत्य, उपयोग उपभोग खातेदारी में बाधा उत्पन्न करने एवं फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी अतः वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा खरीद किया है तथा खरीद की दिनांक से ही प्रार्थीया के कब्जेकाश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग में चली आ रही है, का प्रार्थीया को प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के साथ 1/3 हिस्सा का सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 को निर्देश दिया जावे कि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 से रहन मुक्त करवा लेवे एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त ऋण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चुकता करने के बाद उक्त आराजी पर पुनः ऋण अदा नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा जो उसने प्रार्थीया को विक्रय कर दिया है, में प्रार्थीया के कब्जे काश्त,स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें न ही जबरन बेदखल करें न ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें तथा उक्त आराजी को रहन मुक्त करवाकर भारमुक्त करवा देवे एवम् विक्रय के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण ले रखा है इस कारण उसकी खातेदारी में गलत दर्ज होने के कारण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अतः वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीया के हक में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2019 के द्वारा प्रार्थीया को 1/3 हिस्सा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजीयात का खुर्द, बुर्द, अन्तकरण हस्तान्तरण करने एव कब्जे काश्त, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग से जबरन बेदखल करने से नहीं रोका जाता है तो प्रार्थीया को अजहद हानि होगी एवम् बहु वाद कार्यवाहीया होगी जिससे प्रार्थीया को अनेकानेक कठिनाईयो का सामना करना पडेडा अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार 1/3 हिस्सा आराजी का घोषित किया जाना एवं अप्रार्थी सख्या 2 से रहन मुक्त करवाई जाना एव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायाचित एवम् आवश्यक है अतः वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को वकील प्रार्थीया के निवदन पर उक्त अंतरिम निषेधाज्ञा के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण में [illegible] अप्रार्थीगण को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया। अप्रार्थीगण का

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

नोटिस व सम्मन जारि किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 गैरोकार सरकार द्वारा जवाब मे प्रस्तुत किया कि पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी प्रतिलिती अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खातेदार कि है राजहित प्रभावित नही होता अतः जवाब सरकार आवश्यक नहीं है प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का 1/3 जो उसने प्रार्थीया को विक्रय कर दिया है में प्रार्थीया के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। एवं अप्रार्थी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 से रहन मुक्त करवा लेवे। एवं अप्रार्थी संख्या 2 उक्त ऋण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चुकता करने के बाद उक्त आराजी पर पुनः ऋण अदा नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner